डॉ. एस. सिद्धार्थ, भा.प्र.से.
प्रधान सचिव
वित्त विभाग
बिहार सरकार

पुराना सचिवालय, पटना - 800 015
फोन : +91-612-2215805 (कार्या.)
फैक्स : +91-612-2217694
ई-मेल : finsecy-bih@nic.in

पत्र सं०-एम-4-09/2014......1560......../वि०

सेवा में,

सभी अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव,
सभी विभागाध्यक्ष,
सभी प्रमंडलीय आयुक्त,
सभी जिला पदाधिकारी,
सभी कोषागार पदाधिकारी ।

पटना-15, दिनांक-12-02-19

विषयः- वित्तीय अनुशासन बनाये रखने हेतु विभागीय शिथिलीकरण प्रस्ताव के संबंध में ।

प्रसंगः- वित्त विभागीय पत्रांक-8146 दिनांक-05.11.2018 ।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि लम्बित उपयोगिता प्रमाण पत्र एवं लम्बित डी०सी० बिल के रहते हुए शिथिलीकरण किया जाना वित्तीय अनुशासन सिद्धान्त के विपरीत है । ऐसी स्थिति में विभाग द्वारा शिथिलीकरण प्रस्ताव अपरिहार्य 'परिस्थिति में ही वित्त विभाग को उपलब्ध कराना चाहिए'।

बिहार कोषागार संहिता, 2011 के नियम-176 एवं 177 के आलोक में जब तक तत्काल भुगतान हेतु आवश्यक न हो, कोषागार से राशि की निकासी नहीं की जानी है एवं मांग की प्रत्याशा में या बजट अनुदानों को व्यपगत हो जाने से बचाने के लिए कोषागार से राशि की निकासी नहीं की जानी है । बिहार कोषागार संहिता, 2011 के नियम-194(i) एवं नियम-271(ङ.) के आलोक में क्रमशः छः माह पूर्व निकासी किये संक्षिप्त विपत्र का विस्तृत विपत्र एवं 18 माह पूर्व निकासी किये सहायक अनुदान का उपयोगिता प्रमाण पत्र का सामंजन महालेखाकार कार्यालय से सुनिश्चित कराया जाना है ।

उक्त परिप्रेक्ष्य में, किसी अपरिहार्य कारणवश शिथिलीकरण प्रस्ताव वित्त विभाग को भेजे जाने के पूर्व प्रशासी विभाग के स्तर पर इसकी समीक्षा करते हुए समीक्षोपरांत पूर्ण औचित्य के साथ-साथ संलग्न जाँच-पत्रक में आवश्यक सूचना के साथ प्रस्ताव संचिका में वित्त विभाग को उपलब्ध कराया जाय ।

कृपया उपरोक्त निदेशों का अनुपालन दृढ़तापूर्वक किया जाय ।

अनुलग्नकः- यथा उपरोक्त ।

विश्वासभाजन,

(डॉ० एस० सिद्धार्थ)

अपर मुख्य सचिव
शिक्षा विभाग
बिहार, पटना 2895
दैनिक पंजी संख्या........
दि........13/2/19

शिक्षा विभाग, बिहार।

ज्ञाप संख्या–05/बी05–08/18– 327 पटना, दिनांक–15/फरवरी, 2019

प्रतिलिपि :– निदेशक, (प्राथमिक शिक्षा)/निदेशक, (माध्यमिक शिक्षा)/निदेशक, (प्रशासन)–अपर सचिव/निदेशक (जन शिक्षा)/निदेशक (मध्याह्न)/निदेशक (उच्च शिक्षा)/निदेशक (एस०सी०ई०आर०टी०), महेन्द्रू, पटना/निदेशक (पुस्तकालय)/आई०टी०मैनेजर, शिक्षा विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

अनुलग्नक–1

15/02/19

उप सचिव–सह–बजट पदाधिकारी

6

Sanjeev Letter

जाँच-पत्रक

बिहार कोषागार संहिता, 2011 के नियम-194(i) एवं 271(ङ) का शिथिलीकरण प्रस्ताव हेतु जाँच-पत्रक ।

1 पस्तावित शिथिलीकरण संबंधित स्कीम का नाम	
2 क्या यह स्कीम सक्षम प्राधिकार से स्वीकृत है ?	
3 इस स्कीम का स्वीकृत्यादेश सं0/दिनांक	
4 संबंधित स्कीम की स्वीकृत राशि	
5 शिथिलीकरण से संबंधित प्रस्तावित व्यय का स्वरूपः- विभिन्न आकस्मिक व्यय/ स्कीम मद/वेतन/पेंशन इत्यादि ।	
6 कुल कितनी राशि की निकासी हेतु शिथिलीकरण का प्रस्ताव है ?	
7 क्या अग्रिम निकासी के प्रस्ताव में सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है ?	
8 क्या निकासी की जाने वाली राशि सहायक अनुदान या अग्रिम के रूप में निकासी की जानी है ?	
9 यदि अग्रिम निकासी का प्रस्ताव हो तो, अग्रिम निकासी का औचित्य क्या है ?	
10 प्रस्तावित शिथिलीकरण के इस प्रस्ताव का औचित्य क्या है ?	
11 विभागीय शिथिलीकरण प्रस्ताव पर वित्त विभाग द्वारा जिन शर्तों के अधीन, पूर्व में, सहमति दी गई है, का अनुपालन किया गया है या नहीं ? यदि पालन किया गया है तो समायोजित एवं लंबित यू.सी./डी.सी. विपत्रों का वर्षवार अद्यतन स्थिति क्या है ?	
12 वर्षवार असमायोजित राशि का महालेखाकार कार्यालय से समायोजन कब तक करा लिया जायेगा ?	

नोटः-यह प्रमाणित किया जाता है कि उक्त वर्णित स्थिति/सूचना सही है ।

हस्ताक्षर

प्रभारी पदाधिकारी,
.... विभाग